

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 06-09-2025

विषय सूची

- » न्यायाधीशों का किसी मामले से स्वयं को पृथक करना
- » वन भूमि पर खनिज अन्वेषण ड्रिलिंग के लिए छूट
- » देश में महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की योजना
- » हिंदू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का कम उपयोग
- » पंजाब में बाढ़: प्रकृति, उपेक्षा और शासन संबंधी चुनौतियाँ
- » विदेशी विक्रेताओं द्वारा परमाणु क्षेत्र में गुणवत्ता उन्नयन में कमी की ओर ध्यान

संक्षिप्त समाचार

- » प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप (TPCR-2025)
- » एनवाफोलिमैब के लिए नैदानिक परीक्षण
- » अमेरिकी रक्षा विभाग (DoD) का नाम परिवर्तन
- » उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन
- » उपराष्ट्रपति के लिए जेड-प्लस सुरक्षा कवर
- » राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार
- » संशोधित परिचालन निलंबन संधि द्वारा कुकी-ज़ो समूहों के लिए मानदंड सख्त
- » राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- » अंगीकार 2025

न्यायाधीशों का किसी मामले से स्वयं को पृथक करना

सन्दर्भ

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कई बार सुनवाई स्थगित होने के बाद बिना कोई स्पष्टीकरण दिए जमानत के एक मामले से स्वयं को पृथक कर लिया।

मामले से स्वयं को पृथक करना

- किसी मामले की सुनवाई से पृथक होने का अर्थ है, जब पक्षपात या हितों के टकराव की संभावना हो, तो न्यायाधीश का स्वेच्छा से स्वयं को पृथक कर देना।
- इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है:
 - न्यायाधीश स्वतंत्र और निष्पक्ष रहें।
 - जनता को न्याय की निष्पक्षता में विश्वास हो।
- यह इस सिद्धांत पर आधारित है: “न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए।”
- भारत में, न्यायाधीशों द्वारा किसी मामले की सुनवाई से अलग होने के संबंध में कोई औपचारिक नियम नहीं हैं। जो न्यायाधीश किसी मामले से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं, वे बिना कोई कारण बताए ऐसा कर सकते हैं।

भारतीय कानून में स्थिति

- भारतीय न्यायालय “पक्षपात की उचित संभावना” को मानक मानते हैं।
- अलग दो प्रकार के होते हैं - स्वचालित रूप से अलग होना, जहाँ न्यायाधीश स्वयं मामले से पृथक हो जाता है, या जब कोई पक्ष मामले में न्यायाधीश के पक्षपात या व्यक्तिगत हित की संभावना को उजागर करते हुए अलग होने का तर्क देता है।
 - अलग होने का निर्णय पूरी तरह से न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है और कोई भी पक्ष किसी न्यायाधीश को मामले से हटाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
- यदि कोई न्यायाधीश स्वयं को सुनवाई से पृथक कर लेता है, तो मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष वैकल्पिक पीठ को सौंपने के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न व्याख्याएँ

- भारत में सुनवाई से पृथक होने के संबंध में कोई संहिताबद्ध नियम नहीं हैं, हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में इस मुद्दे पर विचार किया गया है।
- महत्वपूर्ण मामले:
 - रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ (1987): न्यायालय ने कहा कि “पक्षपात की उचित आशंका” भी सुनवाई से पृथक होने के लिए पर्याप्त है।
 - पश्चिम बंगाल राज्य बनाम शिवानंद पाठक (1998): पूर्वाग्रह निष्पक्षता को नष्ट कर देता है; यदि पूर्वाग्रह उपस्थित है तो न्याय निरर्थक हो जाता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) में एक अधिक स्पष्ट नियम बनाते हुए, न्यायालय ने कहा कि जहाँ किसी न्यायाधीश का आर्थिक हित होता है, वहाँ इस बारे में आगे कोई जाँच-पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या पूर्वाग्रह का कोई ‘वास्तविक खतरा’ या ‘उचित संदेह’ था।

वैश्विक क्षेत्राधिकारों में अस्वीकृति

- संयुक्त राज्य अमेरिका में सुनवाई से पृथक होने के संबंध में एक सुपरिभाषित कानून है - अमेरिकी संहिता का शीर्षक 28 ‘न्यायाधीश, न्यायमूर्ति या मजिस्ट्रेट न्यायाधीश की अयोग्यता’ के आधारों का विवरण देता है।
 - यह सुनवाई से अलग होने के तीन आधार निर्दिष्ट करता है -
 - वित्तीय या कॉर्पोरेट हित,
 - ऐसा मामला जिसमें न्यायाधीश एक महत्वपूर्ण गवाह या वकील था, और
 - किसी पक्षकार से संबंध।
- न्यायिक सुनवाई से अलग होने पर यूनाइटेड किंगडम का कानून न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से विकसित हुआ।
 - आर बनाम गॉफ के ऐतिहासिक मामले में, ‘वास्तविक खतरा’ परीक्षण को लागू मानक के रूप में अपनाया गया था, जिसके आधार पर सुनवाई से पृथक होने के आदेश पारित किए जाने चाहिए।

- ▲ इस परीक्षण में केवल ठोस और मूर्त साक्ष्यों के आधार पर अयोग्यता शामिल थी, जो निर्णायक रूप से न्यायिक पूर्वाग्रह और पक्षपात की उपस्थिति को उजागर करता है।

वर्तमान व्यवस्था में समस्याएँ

- **कोई औपचारिक नियम नहीं:** न्यायाधीश बिना कोई स्पष्टीकरण दिए सुनवाई से हट सकते हैं।
- **दुरुपयोग की संभावना:**
 - ▲ वकील या पक्षकार “अनुकूल पीठ(favourable bench)” पाने के लिए न्यायाधीशों पर सुनवाई से हटने का दबाव डाल सकते हैं।
 - ▲ मामलों में देरी करने के लिए सुनवाई से हटने का उपयोग एक रणनीति के रूप में किया जा सकता है।
- **जनता में अविश्वास:** यदि कारण नहीं बताए जाते हैं, तो लोग छिपे हुए पूर्वाग्रह या बाहरी दबाव का संदेह करते हैं।
- **न्याय में देरी:** कई स्थगन के बाद अचानक सुनवाई से हटने से न्यायालय का समय बर्बाद होता है औरवादियों को हानि होती है।

सुझाव

- **संहिताबद्ध नियम बनाएँ:** भारत में सुनवाई से हटने पर एक लिखित कानून या दिशानिर्देशों का एक सेट होना चाहिए।
- **न्यायाधीशों को कारण दर्ज करने चाहिए:** छोटे कारण भी पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाते हैं।
- **एकसमान मानक:** वित्तीय संघर्ष, पारिवारिक संबंध, राजनीतिक दबाव या पूर्व पेशेवर संबंधों जैसी स्पष्ट श्रेणियाँ।
- **समिति का दृष्टिकोण:** संतुलन सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों और वकीलों की एक समिति द्वारा नियम बनाए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

- न्यायिक निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सुनवाई से हटना महत्वपूर्ण है।

- लेकिन भारत में, असंहिताबद्ध नियमों, पारदर्शिता की कमी और बार-बार अस्पष्ट कारणों से सुनवाई से हटने के कारण यह उद्देश्य कमजोर पड़ गया है।
- न्यायिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए स्पष्ट लिखित नियम और स्वतंत्रता व जवाबदेही के बीच संतुलन आवश्यक है।

Source: TH

वन भूमि पर खनिज अन्वेषण ड्रिलिंग के लिए छूट

सन्दर्भ

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (एफएसी) ने वन क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण ड्रिलिंग के लिए बड़ी हुई छूट को मंजूरी दे दी है।
 - ▲ यह निर्णय कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय के अनुरोध पर लिया गया है, क्योंकि खनिज-समृद्ध क्षेत्रों का उच्च अनुपात वन क्षेत्र में स्थित है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2023 में, वन भूमि पर अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए छूट प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन किया गया।
- नवीनतम निर्णय भारत की ऊर्जा और संसाधन सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिज तथा कोयला अन्वेषण को सुगम बनाने हेतु इन छूटों का विस्तार करता है।

प्रमुख नीतिगत निर्णय

- **बोरहोल सीमा:** मंत्रालय अब छूट श्रेणी के अंतर्गत सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए प्रति 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 6 इंच व्यास तक के 62 से 80 बोरहोल की अनुमति देगा, जो अन्वेषण किए गए खनिज भंडार या अयस्क के प्रकार पर निर्भर करेगा।
 - ▲ बोरहोल, खनिजों, अयस्कों या तेल एवं गैस की खोज के लिए धरती में खोदे गए संकरे, गहरे छिद्र होते हैं।
- वन संरक्षण कानून के अंतर्गत वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रति 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 25 बोरहोल और प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 80 शॉटहोल की ड्रिलिंग के साथ-साथ उक्त क्षेत्र में 100 पेड़ों तक की कटाई को वन मंजूरी से छूट दी गई थी।

पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय

- **सीमित कार्य समय:** वन्यजीव गतिविधि चक्रों के अनुरूप ड्रिलिंग केवल सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच ही की जा सकती है।
- **स्थल पुनर्स्थापन:** कार्य पूरा होने के बाद बोरहोल को सीमेंट से बंद किया जाना चाहिए।
- **प्रतिबंध क्षेत्र:** पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रिलिंग निषिद्ध है, जैसे:
 - ▲ महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजनन और घोंसले के शिकार आवास
 - ▲ जल स्रोत और तटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्र
 - ▲ उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र
 - ▲ लुप्तप्राय/स्थानिक प्रजातियों वाले क्षेत्र
 - ▲ सांस्कृतिक या धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण वन स्थल

उद्देश्य और आवश्यकता

- ▲ **महत्वपूर्ण खनिजों को प्रोत्साहन:** स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कई महत्वपूर्ण खनिज (जैसे दुर्लभ मृदा, लिथियम, कोबाल्ट, निकल) वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- **व्यापार करने में आसानी:** अस्थायी सर्वेक्षणों के लिए बार-बार केंद्रीय मंजूरी के कारण होने वाली देरी को दूर करता है।
 - ▲ खनन अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश को प्रोत्साहित करता है।
- **आर्थिक विकास के लिए समर्थन:** खनिज बुनियादी ढाँचे, विनिर्माण, रक्षा और हरित प्रौद्योगिकियों में सहायक होते हैं।
 - ▲ तेज़ अन्वेषण से परियोजना विकास में तीव्रता आती है, लागत दक्षता बढ़ती है और खनिज अन्वेषण में निवेश आकर्षित होता है।

चिंताएँ क्या हैं?

- **पारिस्थितिक प्रभाव:** ड्रिलिंग से होने वाला शोर और कंपन वन्यजीवों के आवागमन के पैटर्न को खराब कर सकते हैं।
 - ▲ तेल/ग्रीस या मलबे से वन धाराओं के दूषित होने का जोखिम।

- **प्रतिपूरक उपाय अपर्याप्त:** वर्तमान मानदंडों के अनुसार, काटे गए पेड़ों के लिए प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता होती है।
 - ▲ लेकिन जैव विविधता की हानि, पुरानी छतरियों का विनाश और सांस्कृतिक मूल्य की पूरी तरह से भरपाई नहीं की जा सकती।
- **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के साथ ओवरलैप:** FRA वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को कानूनी मान्यता देता है।
 - ▲ यदि अन्वेषण को “वन गतिविधि” (विपथन नहीं) माना जाता है, तो सामुदायिक अधिकारों और सहमति की आवश्यकताओं को दरकिनार किया जा सकता है।
- **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की जाँच को दरकिनार करना:** परंपरागत रूप से, वन भूमि पर कोई भी गतिविधि जो सीधे वन संरक्षण से जुड़ी नहीं थी, उसके लिए FCA के अंतर्गत केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती थी।
 - ▲ खनिज अन्वेषण को “वन गतिविधि” के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने से चिंताएँ बढ़ी हैं।

आगे की राह

- **शर्तों का सख्ती से पालन:** सुनिश्चित करें कि बोरहोल अस्थायी हों, सीमेंट से ठीक से भरे हों, और स्थलों का जीर्णोद्धार किया गया हो।
 - ▲ उपग्रहों और तृतीय-पक्ष ऑडिट का उपयोग करके स्वतंत्र निगरानी करें।
- **उन्नत अन्वेषण तकनीक अपनाएँ:** रिमोट सेंसिंग, भू-भेदी रडार, ड्रोन और भूभौतिकीय इमेजिंग का उपयोग करें।
 - ▲ लक्षित क्षेत्रों को सीमित करके अत्यधिक ड्रिलिंग की आवश्यकता को कम करें।
- **पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करें:** जैव विविधता हॉटस्पॉट, प्रजनन क्षेत्र और पवित्र उपवन जैसे निषिद्ध क्षेत्रों की पहचान करने के लिए राष्ट्रव्यापी मानचित्र विकसित करें।

- ▲ पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सख्त सुरक्षा उपाय लागू करें।
- **प्रतिपूरक तंत्र में सुधार करें:** सुनिश्चित करें कि प्रतिपूरक वनीकरण में देशी प्रजातियों का उपयोग किया जाए और इसमें दीर्घकालिक निगरानी शामिल हो। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को महत्व देकर वृक्ष-गणना प्रतिपूर्ति से आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

Source: IE

देश में महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की योजना

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन हेतु देश में पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने हेतु 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं?

- ये वे खनिज हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।
- इन खनिजों की उपलब्धता में कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों पर निष्कर्षण या प्रसंस्करण का संकेंद्रण संभावित रूप से “आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों और यहाँ तक कि आपूर्ति में व्यवधान” का कारण बन सकता है।

महत्वपूर्ण खनिजों की सूची

- विभिन्न देशों की अपनी विशिष्ट परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर महत्वपूर्ण खनिजों की अपनी अद्वितीय सूचियाँ हैं।
- भारत के लिए कुल **30 खनिज** सबसे महत्वपूर्ण पाए गए, जिनमें से दो उर्वरक खनिजों के रूप में महत्वपूर्ण हैं: एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेफ़नियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटैश, आर्सेनिक, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिंकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम।

महत्वपूर्ण खनिजों के अनुप्रयोग

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी पहल जैसे शून्य-उत्सर्जन वाहन, पवन टरबाइन, सौर पैनल आदि।
 - ▲ कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, इंडियम, सेलेनियम और वैनेडियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का उपयोग बैटरी, अर्धचालक, सौर पैनल आदि में किया जाता है।
 - ▲ **इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी):** लिथियम, निकल और कोबाल्ट लिथियम-आयन बैटरियों में उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्रियाँ हैं।
- **उन्नत विनिर्माण इनपुट और सामग्री** जैसे रक्षा अनुप्रयोग, स्थायी चुम्बक, सिरेमिका
 - ▲ बेरिलियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, टैंटलम आदि खनिजों का उपयोग नई तकनीकों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों में होता है।
- **प्लैटिनम समूह धातुओं (PGM) का उपयोग** चिकित्सा उपकरणों, कैसर उपचार दवाओं और दंत चिकित्सा सामग्री में किया जाता है।

पुनर्चक्रण क्षमता विकास योजना के बारे में

- यह योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) का भाग है।
- यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक छह वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी।
- पात्र फीडस्टॉक में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, लिथियम आयन बैटरी (LIB) स्क्रेप, और ई-अपशिष्ट एवं LIB स्क्रेप के अतिरिक्त अन्य स्क्रेप, जैसे कि जीवन-अंत वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर, शामिल हैं।
- अपेक्षित लाभार्थी बड़े, स्थापित पुनर्चक्रणकर्ता, साथ ही छोटे, नए पुनर्चक्रणकर्ता (स्टार्ट-अप सहित) होंगे, जिनके लिए योजना परिव्यय का एक-तिहाई निर्धारित किया गया है।
- यह योजना नई इकाइयों में निवेश के साथ-साथ वर्तमान इकाइयों की क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण और विविधीकरण पर भी लागू होगी।
- इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहनों में शामिल होंगे:

- ▲ निर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर उत्पादन शुरू करने के लिए संयंत्र एवं मशीनरी, उपकरण और संबंधित उपयोगिताओं पर 20% पूंजीगत व्यय सब्सिडी, जिसके बाद कम सब्सिडी लागू होगी; और
- ▲ **परिचालन व्यय सब्सिडी:** वित्त वर्ष 2025-26 के आधार वर्ष के पश्चात वृद्धिशील बिक्री से जुड़ी, जिसका 40% दूसरे वर्ष में और 60% पाँचवें वर्ष में वितरित किया जाएगा।
- ▲ **सीमाएँ:** बड़ी कंपनियों के लिए प्रति इकाई ₹50 करोड़ (परिचालन व्यय पर ₹10 करोड़ की सीमा); छोटी कंपनियों के लिए ₹25 करोड़ (परिचालन व्यय पर ₹5 करोड़ की सीमा)।



महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण की आवश्यकता

- **अपशिष्ट उत्पादन:** सौर और पवन ऊर्जा अवसंरचना में तीव्र वृद्धि तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के कारण भारत में ई-अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है।
 - ▲ पीवी मॉड्यूल अपशिष्ट वित्त वर्ष 2023 में 100 किलोटन से बढ़कर 2030 तक 340 किलोटन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, आगामी वर्षों में 500 किलोटन ईवी बैटरियों के पुनर्चक्रण इकाइयों तक पहुँचने की संभावना है।
- **दुर्लभ भंडार:** नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के निर्माण और इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन के लिए तांबा, मैंगनीज, जस्ता एवं इंडियम सहित खनिजों की बढ़ती मात्रा की आवश्यकता होगी।

- ▲ भारत में दुर्लभ मृदा भंडार हैं, विशेष रूप से राजस्थान और तटीय क्षेत्रों में, लेकिन खनन, प्रसंस्करण और शोधन प्रौद्योगिकियाँ अभी भी अविकसित हैं।
- **आपूर्ति श्रृंखला में चीनी प्रभुत्व:** चीन वैश्विक दुर्लभ मृदा उत्पादन का 60-70% और शोधन का 85-90% नियंत्रित करता है, जिससे उसे निष्कर्षण से लेकर उच्च-प्रदर्शन वाले चुम्बकों तक लगभग एकाधिकार प्राप्त है।
 - ▲ प्रमुख दुर्लभ मृदाओं के निर्यात पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों ने भारत की भेद्यता और घरेलू पुनर्चक्रण क्षमता निर्माण की आवश्यकता को उजागर किया है।
- पर्यावरणीय चिंताएँ, नियामक बाधाएँ, और उन्नत पृथक्करण एवं शोधन क्षमता का अभाव प्राथमिक स्रोतों के दोहन को भी सीमित कर देता है।

महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण में चुनौतियाँ

- **प्रौद्योगिकी अंतराल:** दुर्लभ मृदा और लिथियम के लिए उन्नत पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं में सीमित घरेलू विशेषज्ञता।
- **पर्यावरणीय जोखिम:** विषाक्त अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन और पुनर्चक्रण इकाइयों से उत्सर्जन चिंता का विषय बना हुआ है।
- **नियामक बाधाएँ:** अनुमोदन में देरी और सुव्यवस्थित मानदंडों का अभाव त्वरित अपनाने में बाधा डालता है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** सीमित विशिष्ट पुनर्चक्रण इकाइयाँ और अपर्याप्त संग्रहण नेटवर्क।

सुझाव

- अपशिष्ट से कुशल खनिज निष्कर्षण के लिए अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुदृढ़ करें।
- पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी और स्टार्ट-अप भागीदारी को बढ़ावा दें।
- ई-अपशिष्ट और बैटरी स्क्रेप के लिए एकीकृत संग्रहण और प्रसंस्करण नेटवर्क बनाएँ।
- द्वितीयक प्रदूषण से बचने के लिए सख्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें।

- पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।

Source: PIB

हिंदू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का कम उपयोग

समाचार में

- बैंकॉक में एशिया-प्रशांत स्वच्छ ऊर्जा सप्ताह के दौरान जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र की नई रिपोर्ट में हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में विशाल लेकिन कम उपयोग की गई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पर प्रकाश डाला गया है।

हिंदू कुश हिमालय

- यह क्षेत्र अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में 3500 किलोमीटर तक विस्तारित है।
- यह दस बड़ी एशियाई नदी प्रणालियों का उद्गम स्थल है - अमु दरिया, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र (यारलुंगत्सानपो), इरावदी, सालवीन (नु), मेकांग (लंकांग), यांग्से (जिंशा), पीली नदी (हुआंगहे), और तारिम (दयान)।
- यह क्षेत्र की लगभग 24 करोड़ जनसंख्या को जल, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ और आजीविका का आधार प्रदान करता है।

हालिया रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी HKH देशों में केवल 6.1% है।
- जलविद्युत का अत्यधिक दोहन नहीं हुआ है, और वर्तमान में 882 गीगावाट क्षमता का केवल 49% ही उपयोग किया जा रहा है।
- HKH में 635 गीगावाट जलविद्युत क्षमता सीमा-पार नदियों से आती है।
- गैर-जलविद्युत क्षमता (सौर और पवन) 3 टेरावाट है, जबकि क्षेत्रीय नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कुल 1.7 टेरावाट है।

देशवार आँकड़े:

- भूटान और नेपाल 100% विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न करते हैं।
- अन्य HKH देश जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर हैं, बांग्लादेश: 98%, भारत: 77%, पाकिस्तान: 76%, चीन: 67% और म्यांमार: 51%।
- जैव ईंधन और अपशिष्ट: जैव ईंधन और अपशिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं, जो नेपाल में दो-तिहाई टीपीईएस, म्यांमार में आधा तथा भूटान और पाकिस्तान में एक-चौथाई के लिए उत्तरदायी हैं। ये पारंपरिक ईंधन वायु प्रदूषण और खराब स्वास्थ्य परिणामों में योगदान करते हैं।
- जलवायु परिवर्तन, जल परिवर्तनशीलता में वृद्धि, चरम मौसम की घटनाओं और बदलते जलप्रवाह के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से जलविद्युत के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न कर रहा है।
 - उल्लेखनीय है कि वर्तमान एवं नियोजित जलविद्युत परियोजनाओं में से दो-तिहाई हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) और अन्य जलवायु-जनित आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं।
 - इसलिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को परियोजना नियोजन में एकीकृत किया जाना चाहिए।
- इस क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की प्रगति में कई बाधाएँ आ रही हैं।
 - इनमें उच्च पूँजीगत लागत, सीमित सार्वजनिक वित्तपोषण, कम निजी निवेश, तकनीकी ज्ञान की कमी, भूमि की कमी, अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास, और पुराने या अनुपस्थित नियामक ढाँचे शामिल हैं।

सुझाव

- रिपोर्ट व्यापार से परे क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन करती है, जिसमें बुनियादी ढाँचे में निवेश, दक्षिण-दक्षिण प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से समर्थन पर बल दिया गया है।
- सार्क के ऊर्जा केंद्र और बंगाल की खाड़ी पहल जैसे मंचों को सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

- रिपोर्ट में HKH क्षेत्र—और विशेष रूप से भारत और चीन—को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित किया गया है, तथा उनसे आग्रह किया गया है कि वे हरित आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अपने प्रतिस्पर्धी लाभ का लाभ प्राप्त करें, साथ ही भावी पीढ़ियों के लिए लचीलापन और समानता सुनिश्चित करें।
- स्थानीय समुदायों के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का भी सावधानीपूर्वक प्रबंधन आवश्यक है।

Source :DTE

पंजाब में बाढ़: प्रकृति, उपेक्षा और शासन संबंधी चुनौतियाँ

सन्दर्भ

- पंजाब दशकों की सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में है, जहाँ 1,902 गाँव जलमग्न हैं, 3.8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 11.7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो गई है।
- सीमा पार, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी समान रूप से तबाही मची है।

भारत में बाढ़ के बारे में

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, भारत में बाढ़ एक आवर्ती घटना है, जो भारी वर्षा, अपर्याप्त जल निकासी और नदियों के उफान पर होने के कारण होती है। इसके परिणामस्वरूप जान-माल की हानि, संपत्ति, बुनियादी ढाँचे और सार्वजनिक उपयोगिताओं को हानि होती है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसे नदी के प्रवाह और जल स्तर में प्राकृतिक परिवर्तनशीलता का एक हिस्सा तथा वैश्विक स्तर पर सबसे घातक प्राकृतिक आपदा बताता है, जो जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग में बदलाव और जनसंख्या दबाव के कारण भी बढ़ जाती है।
- भारत में, बाढ़ मानसूनी बारिश, चक्रवातों, बादल फटने और बाँधों से जल छोड़े जाने के कारण आती है।

- ▲ बड़ी बाढ़ की आवृत्ति प्रत्येक पाँच वर्ष में एक से अधिक बार होती है।
- ▲ भारत में 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि बाढ़ प्रवण है और औसतन प्रत्येक वर्ष 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है।

पंजाब में बाढ़ के संभावित कारण

- **बाढ़-प्रवण भूमि और भूगोल:** तीन बारहमासी नदियाँ - रावी, व्यास और सतलुज - तथा घग्गर जैसी मौसमी नदियाँ मानसून के दौरान उफान पर होती हैं।
 - ▲ हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी वर्षा के कारण पंजाब में बाढ़ आ जाती है।
 - ▲ धुस्सी बांध (मृदा के तटबंध) कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन प्रायः जल भर जाता है, जैसा कि 1955, 1988, 1993, 2019, 2023, 2024 और अब 2025 की बाढ़ों में देखा गया है।
 - ▲ यह ध्यान देने योग्य है कि यही नदी प्रणाली मृदा को समृद्ध बनाती है, जिससे पंजाब भारत का 'खाद्य कटोरा' बन जाता है, जो केवल 1.5% भूमि पर नियन्त्रण करने के बावजूद 20% गेहूँ और 12% चावल का उत्पादन करता है।
- **बांध दुविधा:** बांधों को सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन अत्यधिक वर्षा के दौरान बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अचानक जल छोड़ना पड़ता है। ये नियंत्रित जल-प्रवाह प्रायः नीचे की ओर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं।
 - ▲ भाखड़ा बांध (सतलुज) और पोंग बांध (व्यास), जिनका प्रबंधन भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है।
 - ▲ थीन (रंजीत सागर) बांध (रावी), जिसका प्रबंधन पंजाब के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
- **मानवीय भूल प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाती है:** थीन बांध से जल छोड़े जाने के पश्चात माधोपुर बैराज में आई दरार दर्शाती है कि कैसे खराब समन्वय बाढ़ के जोखिम को बढ़ा देता है। प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

- ▲ बांध और बैराज अधिकारियों के बीच संवाद का अभाव।
- ▲ धीरे-धीरे जल छोड़े जाने के बजाय अचानक, भारी मात्रा में जल छोड़ा जाना।
- ▲ कमजोर धुस्सी बांध, प्रायः अवैध खनन के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

भारत में बाढ़ के प्रभाव

• मानवीय प्रभाव:

- ▲ **जीवन की हानि:** भारत में बाढ़ से औसतन प्रत्येक वर्ष लगभग 1,600 लोगों की जान जाती है। 1977 जैसे गंभीर वर्षों में, मृत्यु दर 11,000 से अधिक थी।
- ▲ **विस्थापन:** हजारों लोग विस्थापित होने को मजबूर होते हैं, प्रायः अपने घर और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच खो देते हैं।
- ▲ **स्वास्थ्य जोखिम:** बाढ़ का जल जलजनित बीमारियाँ फैलाता है, वेक्टर जनित बीमारियों को बढ़ाता है और मानसिक स्वास्थ्य तनाव का कारण बनता है।

• कृषि क्षति:

- ▲ **फसल हानि:** प्रत्येक वर्ष 75 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि प्रभावित होती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएँ ध्वस्त हो जाती हैं।
- ▲ **पशुधन मृत्यु:** पशुओं की डूबने, बीमारी या चारे की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है।
- ▲ **खाद्य सुरक्षा:** आपूर्ति श्रृंखलाओं और फसल चक्रों में व्यवधान से मुद्रास्फीति एवं अभाव होता है।

• बुनियादी ढाँचे को हानि:

- ▲ **सड़कें और पुल:** बह गए या क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे गाँवों और शहरों तक पहुँच कट गई।
- ▲ **शहरी व्यवधान:** दिल्ली, फरीदाबाद और अमृतसर जैसे शहरों में यातायात अव्यवस्था, जलभराव और विद्युत् कटौती का सामना करना पड़ा।

• पर्यावरणीय परिणाम:

- ▲ **नदी तट अपरदन:** बाढ़ अपरदन को तीव्र करती है, भूदृश्यों को बदल देती है और बस्तियों को खतरा पहुँचाती है।

- ▲ **तलछट भार:** नदियाँ जलग्रहण क्षेत्रों से भारी तलछट लाती हैं, जिससे उनकी क्षमता कम हो जाती है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है।

- ▲ **आर्द्रभूमि विघटन:** प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र अस्त-व्यस्त हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता प्रभावित होती है।

• मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव:

- ▲ **आघात और तनाव:** बचे हुए लोग प्रायः दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभावों से पीड़ित होते हैं।
- ▲ **सामुदायिक विघटन:** विस्थापन और आजीविका का हानि सामाजिक सामंजस्य को प्रभावित करता है।

संबंधित पहल और प्रयास

• पर्यावरण और जल कानून:

- ▲ **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** बाढ़ के मैदानों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के नियमन को सक्षम बनाता है।

- ▲ **जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974:** बाढ़ के दौरान जल निकासी और जल गुणवत्ता को संबोधित करता है।

- ▲ **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980:** बाढ़ के व्यवहार को प्रभावित करने वाले जलग्रहण क्षेत्रों की रक्षा करता है।

- **बाढ़ पर उच्च स्तरीय समिति (1957) और 1958 का नीति वक्तव्य:** इसमें संरचनात्मक नियंत्रण (जैसे तटबंध) और गैर-संरचनात्मक विधियाँ शामिल हैं, जिनमें बाढ़ के मैदानों का क्षेत्रीकरण, बाढ़ का पूर्वानुमान और क्षति को कम करने के लिए चेतावनियाँ शामिल हैं, तथा इन्हें लागत-प्रभावी उपाय माना गया है।

- **राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (राष्ट्रीय बाढ़ आयोग) - 1980:** इसमें एक गतिशील बाढ़ प्रबंधन रणनीति अपनाना, तटबंधों एवं जलाशयों के बड़े पैमाने पर निर्माण को तब तक रोकना जब तक कि उनकी प्रभावशीलता का आकलन न हो जाए, और अनुसंधान एवं नीतिगत पहलों पर राज्य-केंद्र सहयोग पर बल देना शामिल है।

- ▲ इसने पहचाना कि बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति वनों की कटाई और खराब विकास जैसे मानवजनित कारकों के कारण थी, न कि वर्षा में बदलाव के कारण।
- **आर. रंगाचारी समिति:** राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
- **राष्ट्रीय जल नीति (1987/2002/2012):** इन नीतियों का उद्देश्य एकीकृत जल संसाधन नियोजन, कुशल उपयोग, भूजल विनियमन को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय एवं मानवीय बस्तियों की आवश्यकताओं को एकीकृत करना है।
 - ▲ प्रमुख सिद्धांतों में जल को एक आर्थिक वस्तु मानना, जल-उपयोग दक्षता में वृद्धि करना और जल उपलब्धता में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना शामिल है।
- **बाढ़ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश:**
 - ▲ **संरचनात्मक उपाय:** तटबंध, जलाशय, जल निकासी सुधार;
 - ▲ **गैर-संरचनात्मक उपाय:** बाढ़ पूर्वानुमान, ज़ोनिंग नियम, बीमा योजनाएँ;
 - ▲ **एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन:** नदी घाटियों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है;
 - ▲ अतिप्रवाह आपदाओं को रोकने के लिए बांध सुरक्षा प्रोटोकॉल और जलाशय विनियमन;
 - ▲ **बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग:** संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी ढाँचा।
- **बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली:** इसका प्रबंधन केंद्रीय जल आयोग और आईएमडी द्वारा किया जाता है, जो निम्न पर केंद्रित है:
 - ▲ वास्तविक समय निगरानी और पूर्वानुमान मॉडल का विस्तार;
 - ▲ समय पर अलर्ट के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय;
- **शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम:** इसे 2021 में 7 प्रमुख शहरों में बाढ़ शमन के लिए ₹2,500 करोड़

आवंटित के साथ शुरू किया गया था, तथा गुवाहाटी, पटना और त्रिवेंद्रम सहित 11 अतिरिक्त शहरों में इसका विस्तार किया गया। यह इन पर केंद्रित है:

- ▲ उन्नत जल निकासी प्रणालियाँ;
- ▲ आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन जैसे प्रकृति-आधारित समाधान;
- ▲ सामुदायिक जागरूकता और जीआईएस मानचित्रण;

आगे की राह?

- **बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग कानूनों को सुदृढ़ करना:** बार-बार की गई सिफारिशों के बावजूद, अधिकांश भारतीय राज्यों ने बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग नियम लागू नहीं किए हैं।
 - ▲ एनडीएमए बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में निर्माण को प्रतिबंधित करने और अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए कानूनी प्रवर्तन का आग्रह करता है।
- **प्रकृति-आधारित समाधानों की ओर दृष्टिकोण:** यह निम्न क्षेत्रों में बाढ़ के जोखिम को कम करता है, जैव विविधता एवं जल गुणवत्ता को बढ़ाता है, और नीदरलैंड के 'रूम फ़ॉर द रिवर' कार्यक्रम जैसी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है।
- **पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियों का आधुनिकीकरण:** एआई, उपग्रह डेटा और रीयल-टाइम सेंसर का उपयोग करके केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन।
 - ▲ समय पर अलर्ट और निकासी के लिए आईएमडी, राज्य एजेंसियों तथा स्थानीय निकायों के बीच समन्वय में सुधार।
- **गाद निकालना और नदी क्षमता वृद्धि:** प्रवाह क्षमता बनाए रखने के लिए नदियों और जल निकायों की नियमित रूप से गाद निकालना आवश्यक है।
 - ▲ नीति आयोग की रिपोर्ट जलग्रहण क्षेत्र उपचार और जलाशय संचालन प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर बल देती है।
- **समुदाय-आधारित आपदा तैयारी:** बाढ़ प्रबंधन में स्थानीय भागीदारी को शामिल किया जाना चाहिए, विशेष रूप से संवेदनशील ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।

- ▲ प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान और स्कूल-आधारित आपदा शिक्षा से लचीलापन विकसित किया जा सकता है।

Source: IE

विदेशी विक्रेताओं द्वारा परमाणु क्षेत्र में गुणवत्ता उन्नयन में कमी की ओर ध्यान

सन्दर्भ

- सरकार असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को बाहरी खिलाड़ियों के लिए खोलने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण कानूनी संशोधन तैयार कर रही है।
- इस बीच, विदेशी उपकरण विक्रेताओं ने देश के मध्यम और निम्न-स्तरीय परमाणु आपूर्तिकर्ता आधार को उन्नत करने के लिए गुणवत्ता मानकों को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

विदेशी उपकरण विक्रेताओं द्वारा उठाई गई चिंताएँ

- मध्यम और निम्न-स्तरीय आपूर्तिकर्ताओं के बीच गुणवत्ता का अंतर: यह अंतर विशेष रूप से दूसरे और तीसरे स्तर के उपकरण आपूर्तिकर्ताओं में उजागर हुआ है, जो बदले में, एलएंडटी, भारत फोर्ज, गोदरेज एंड बॉयस और वालचंदनगर इंडस्ट्रीज जैसे टियर-1 आपूर्तिकर्ताओं को इनपुट प्रदान करते हैं।
- मानकीकृत गुणवत्ता प्रोटोकॉल और एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता, विशेष रूप से हल्के जल रिएक्टरों (LWRs) एवं छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) जैसी नई रिएक्टर तकनीकों के लिए।
- साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, विक्रेताओं द्वारा महत्वपूर्ण डेटा पर नियंत्रण खोने, संभावित परिचालन व्यवधानों या यहाँ तक कि रैंसमवेयर-शैली के बंधक परिदृश्यों जैसे जोखिमों की चेतावनी के साथ।

भारत का परमाणु अवसंरचना

- भारत 22 परमाणु रिएक्टरों का संचालन करता है, जिनका संचालन भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है।
- अमेरिका, फ्रांस और जापान के साथ असैन्य परमाणु समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, वर्तमान में केवल

रूस ही परियोजनाओं (कुडनकुलम) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसका मुख्य कारण भारत की देयता व्यवस्था से जुड़ी चिंताएँ हैं।

- ▲ **जैतापुर परमाणु संयंत्र (फ्रांस के साथ)** 2009 से लंबित है, देयता संबंधी चिंताएँ अभी तक हल नहीं हुई हैं।
- ▲ **कोव्वाडा परियोजना (आंध्र प्रदेश):** अभी प्रारंभ नहीं हुई है।
- ▲ केवल रूस (कुडनकुलम) ही पूर्व-सीएलएनडीए समझौतों के कारण परमाणु परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है।
- एनपीसीआईएल परिचालनों के अंतर्गत भारत का सुरक्षा रिकॉर्ड सुदृढ़ है, जहाँ 238 रिएक्टर-वर्षों में कोई रेडियोलॉजिकल दुर्घटना नहीं हुई है।
- हालाँकि, भारत की अधिकांश विशेषज्ञता दाबयुक्त भारी जल रिएक्टरों में है, जो विश्व स्तर पर प्रचलित एलडब्ल्यूआर तकनीक से काफी भिन्न हैं।

भारत में चल रहे सुधार

- **परमाणु दायित्व कानून (परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010) को आसान बनाना:** इसका उद्देश्य परमाणु दुर्घटना की स्थिति में उपकरण विक्रेताओं की देयता को सीमित करना है।
- **प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन:**
 - ▲ **मौद्रिक सीमा:** देयता को मूल अनुबंध मूल्य तक सीमित किया जा सकता है।
 - ▲ **समय सीमा:** देयता कितने समय तक लागू रहेगी, इसके लिए एक सीमा-कानून लागू किया जाएगा।
 - ▲ **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन:** इसका उद्देश्य निजी और विदेशी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रवेश की अनुमति देना है।
 - ▲ **वर्तमान प्रतिबंध:** केवल एनपीसीआईएल और एनटीपीसी लिमिटेड जैसी सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएँ ही परमाणु संयंत्रों का संचालन कर सकती हैं।
 - ▲ **प्रस्तावित परिवर्तन:** आगामी परियोजनाओं में विदेशी/निजी संस्थाओं द्वारा अल्पसंख्यक इक्विटी भागीदारी की अनुमति।

- **भारत का लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के लिए प्रयास:** एसएमआर उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी उत्पादन क्षमता पारंपरिक परमाणु संयंत्रों की लगभग एक-तिहाई है, लेकिन फिर भी वे बड़ी मात्रा में कम कार्बन वाली विद्युत का उत्पादन करने में सक्षम हैं।
 - ▲ **भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC)** बंद हो रहे कोयला संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए SMR विकसित कर रहा है।
 - ▲ परमाणु ऊर्जा विभाग भी भारत के थोरियम भंडारों का दोहन करते हुए उच्च-तापमान गैस-शीतित रिएक्टरों और पिघले हुए लवण रिएक्टरों की खोज कर रहा है।
- **विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन:** बजट के हिस्से के रूप में शुरू की गई एक प्रमुख पहल, इस मिशन में लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के लिए अनुसंधान एवं विकास शामिल है।
 - ▲ 2033 तक कम से कम पाँच स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए और परिचालन योग्य SMR के विकास को सुनिश्चित करने के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- **भारत लघु रिएक्टर (BSR):** ये 220 मेगावाट के PHWR हैं जिनका आधुनिकीकरण भूमि उपयोग को कम करने के लिए किया जा रहा है और इनका उद्देश्य औद्योगिक उपयोग (जैसे, इस्पात, एल्यूमीनियम संयंत्र) है।
- **संरचना:** निजी भागीदार भूमि, जल और पूंजी का योगदान करते हैं; NPCIL डिज़ाइन, गुणवत्ता आश्वासन तथा संचालन का प्रबंधन करता है।

परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों की आवश्यकता

- **परमाणु क्षमता:** भारत 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना बना रहा है।
- **ऊर्जा मांग में वृद्धि:** भारत की विद्युत की मांग 2047 तक 4-5 गुना बढ़ने की संभावना है, और परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ आधारभूत मांग को पूरा करने में सहायता करेगी।

- **भारत के लक्ष्य:** 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 44% तक कम करना।
 - ▲ 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना।

परमाणु क्षेत्र में गुणवत्ता उन्नयन के लिए वैश्विक टेम्पलेट

- **जापान का अनुभव (1970-1980 का दशक):**
 - ▲ **राष्ट्रीय प्रयास:** 1973 में परमाणु ऊर्जा को राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकता घोषित करने के बाद, जापान ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार किया।
 - ▲ **समानांतर गुणवत्ता आंदोलन:** यह जापान में एक व्यापक औद्योगिक गुणवत्ता क्रांति के साथ-साथ हुआ। टोयोटा एवं सोनी जैसी कंपनियाँ विश्वसनीयता और गुणवत्ता के वैश्विक मानक बन गईं।
 - ▲ **अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव:** IAEA (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी) ने 1978 में “परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए गुणवत्ता आश्वासन: एक आचार संहिता” प्रकाशित की, जिसमें विस्तृत सुरक्षा और गुणवत्ता मानक प्रदान किए गए।
 - ▲ **प्रभाव:** जापान के नियामकों ने इन सिद्धांतों को अपनाया और गुणवत्ता आश्वासन को औद्योगिक संस्कृति तथा परमाणु विनियमन, दोनों में समाहित कर दिया।
- **चीन का दृष्टिकोण (2000 के दशक से)**
 - ▲ **नियामक संस्था:** राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन (NNSA) परमाणु सुरक्षा और गुणवत्ता की निगरानी हेतु केंद्रीय प्राधिकरण बन गया।
 - ▲ **कार्यक्रम की विशेषताएँ:**
 - व्यापक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम।
 - अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लेकिन घरेलू परिस्थितियों के अनुकूल ढाँचा।
 - सभी परमाणु आपूर्तिकर्ताओं में विनिर्माण प्रक्रियाओं का मानकीकरण।

- ▲ **परिणाम:** वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करते हुए चीन को अपने परमाणु क्षेत्र का तेजी से विस्तार करने में सहायता मिली।

आगे की राह

- **राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:** उपकरण आपूर्तिकर्ताओं, विशेष रूप से मध्यम और निम्न-स्तरीय विक्रेताओं के लिए सुझाया गया।
 - ▲ हल्के जल रिएक्टर (LWR) और लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) जैसी नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करें।
- **DAE की भूमिका:** सभी प्रणालियों और उपकरणों में सख्त संहिताओं तथा मानकों को लागू करने की आवश्यकता है।
 - ▲ कठोर गुणवत्ता निरीक्षण और प्रबंधन की संस्कृति को संस्थागत बनाना होगा।
- **व्यावसायिक विशेषज्ञता:** निरीक्षण, प्रमाणन और गुणवत्ता नियंत्रण में समय पर निर्णय लेने में सक्षम उच्च योग्य पेशेवरों का एक कैडर तैयार करें।
- **विक्रेता क्षमता का विस्तार:** नए विक्रेताओं में निवेश करें और इन विशिष्ट क्षेत्रों में विनिर्माण क्षमता का विस्तार करें।
 - ▲ क्षमता विकास में तीव्रता लाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करें।

निष्कर्ष

- आपूर्तिकर्ता प्रशिक्षण, गुणवत्ता उन्नयन और विस्तारित क्षमता के बिना, भारत को निम्नलिखित जोखिम हैं:
 - ▲ रिएक्टर निर्माण में देरी।
 - ▲ गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का देर से पता चलने के कारण लागत में वृद्धि।
 - ▲ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वसनीयता की हानि।
- सुधारों के साथ, भारत एक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी परमाणु आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण कर सकता है और SMR बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप (TPCR-2025)

समाचार में

- रक्षा मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप (TPCR-2025) जारी किया है।

भारत का प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप (TPCR-2025)

- यह परमाणु प्रतिरोध को बढ़ाकर और ड्रोन युद्ध क्षमताओं का विस्तार करके अपनी सैन्य तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए एक 15-वर्षीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
- यह उत्तरजीविता प्रणालियों और उन्नत वितरण प्लेटफार्मों, जिनमें कमांड-एंड-कंट्रोल अवसंरचना तथा रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन शामिल हैं, के माध्यम से विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध को बनाए रखने पर केंद्रित है।
- यह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, पता लगाने और तोपखाने के मार्गदर्शन के लिए 1,500 किलोमीटर तक की रेंज तथा 60,000 फीट की ऊँचाई वाले स्टीलथ ड्रोन के विकास पर भी बल देता है।
- यह 15 किलोमीटर के दायरे में अनुकूली जैमिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक निषेध क्षेत्रों की योजना बनाकर शत्रुतापूर्ण ड्रोन झुंडों के खतरे का भी समाधान करता है।
- यह एआई-सक्षम लक्ष्यीकरण और पुनः प्रयोज्य वारहेड्स, एकीकृत निगरानी ड्रोन तथा इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग एवं निषेध प्रणालियों का उपयोग करके शत्रुतापूर्ण ड्रोन झुंडों के विरुद्ध प्रतिवाद के साथ घूमने वाले हथियारों को प्राथमिकता देता है।

महत्व

- यह रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है तथा आने वाले दशकों में राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए परमाणु लचीलापन, इलेक्ट्रॉनिक

युद्ध और मानवरहित स्ट्राइक प्लेटफार्मों को मिलाकर एकीकृत निवारण की ओर एक रणनीतिक परिवर्तन को दर्शाता है।

Source :TH

एनवाफोलिमैब के लिए नैदानिक परीक्षण

समाचार में

- ग्लेनमार्क ने स्टेज III नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर को लक्षित करते हुए एनवाफोलिमैब के लिए बहु-देशीय चरण 3 क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया है।

क्या आप जानते हैं ?

- एनवाफोलिमैब तीसरे चरण के नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर के लिए एक नई औषधि है।
- इसे देश में रोगियों के नामांकन और खुराक शुरू करने के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक से मंजूरी मिल गई है।

फेफड़े का कैंसर

- फेफड़ों का कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो फेफड़ों में असामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित रूप से बढ़ने से शुरू होता है।
 - यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो गंभीर हानि और मृत्यु का कारण बन सकती है।
- फेफड़ों के कैंसर के लक्षणों में निरंतर खांसी, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं।
 - फेफड़ों के कैंसर के सबसे सामान्य प्रकार नॉन-स्मॉल सेल कार्सिनोमा और स्मॉल सेल कार्सिनोमा हैं।
- एनएससीएलसी अधिक सामान्य है और धीरे-धीरे बढ़ता है, जबकि एससीएलसी कम सामान्य है लेकिन प्रायः तीव्रता से बढ़ता है।
 - नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर के सामान्य प्रकार:
 - एडेनोकार्सिनोमा - सामान्यतः फेफड़ों के बाहरी क्षेत्रों में पाया जाता है।
 - स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा - सामान्यतः ब्रोंकस के पास फेफड़ों के केंद्र में स्थित होता है।
 - लार्ज सेल कार्सिनोमा - फेफड़ों के किसी भी हिस्से में हो सकता है।

Source :TH

अमेरिकी रक्षा विभाग (DoD) का नाम परिवर्तन

सन्दर्भ

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रक्षा विभाग का नाम परिवर्तित कर युद्ध विभाग करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।

युद्ध विभाग

- ऐतिहासिक रूप से, 1789 में स्थापित युद्ध विभाग, थलसेना, नौसेना और मरीन कोर की देखरेख करता था, जब तक कि नौसेना एवं मरीन कोर को अलग-अलग विभागों में पुनः नियुक्त नहीं कर दिया गया।
- युद्ध विभाग द्वितीय विश्व युद्ध तक केंद्रीय बना रहा, जब परिचालन संबंधी अक्षमताओं के कारण राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 1947 में राष्ट्रीय सैन्य प्रतिष्ठान (एनएमई) के अंतर्गत सैन्य शाखाओं का एकीकरण किया, जिसे बाद में “एनएमई” के नकारात्मक अर्थ से बचने के लिए रक्षा विभाग (डीओडी) का नाम दिया गया।

- इस पुनर्गठन का उद्देश्य कमान को सुव्यवस्थित करना और अंतर-सेवा प्रतिद्वंद्विता को कम करना था, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विखंडित प्रयासों के बाद।

डोनाल्ड ट्रम्प के हालिया निर्णय के पीछे तर्क

- ऐतिहासिक नाम पर वापस लौटने का ट्रम्प का निर्णय एक अधिक मुखर छवि की चाहत और अमेरिका की ऐतिहासिक सैन्य सफलताओं के संदर्भ से जुड़ा है।
- यह कदम युद्ध-लड़ने की क्षमताओं के आस-पास सेना की पहचान को नया रूप देने के ट्रम्प के व्यापक उद्देश्य को दर्शाता है।

Source :IE

उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन

समाचार में

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नवंबर 2025 में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन करने वाला है, जो संभवतः पारंपरिक भारतीय विज्ञान कांग्रेस से अलग एक पृथक का प्रतीक होगा।

क्या आप जानते हैं ?

भारतीय विज्ञान कांग्रेस , भारत में स्वतंत्रता-पूर्व युग से चली आ रही वैज्ञानिकों की एक ऐतिहासिक सभा, अंतिम बार 2023 में आयोजित की गई थी।

- हालांकि, वित्त पोषण की कमी और संगठनात्मक चुनौतियों के कारण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन से अपना समर्थन वापस ले लिया है, जो पारंपरिक रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन करता था।

उभरता विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन

- यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए भारत के अग्रणी मंच के रूप में स्थापित है, जो सरकारी मंत्रालयों, वैश्विक विचारकों तथा नवप्रवर्तकों को एकजुट करता है।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के विपरीत, जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है, ईएसटीआईसी को वैज्ञानिक संवाद, नवाचार और नीतिगत विचार-विमर्श के लिए एक गंभीर मंच के रूप में देखा जाता है।
- इसमें तकनीकी सत्र शामिल होंगे, 75 डीप-टेक स्टार्टअप प्रदर्शित किए जाएंगे और वैश्विक वैज्ञानिक दिग्गजों की भागीदारी होगी।

उद्देश्य

- यह सहयोग को बढ़ावा देता है, विघटनकारी नवाचार का जश्न मनाता है और इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत को एक वैश्विक वैज्ञानिक नेता के रूप में स्थापित करना है।

Source :TH

उपराष्ट्रपति के लिए जेड-प्लस सुरक्षा कवर

सन्दर्भ

- केंद्र सरकार उपराष्ट्रपति की जेड-प्लस सुरक्षा दिल्ली पुलिस से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को हस्तांतरित करने पर विचार कर रही है।

परिचय

- विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी “ब्लू बुक” दिशानिर्देशों के अनुसार,

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री विशिष्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल के हकदार हैं।

- भारत के उपराष्ट्रपति को वर्तमान में दिल्ली पुलिस सुरक्षा प्रभाग द्वारा प्रदान किया गया जेड-प्लस सुरक्षा कवर प्राप्त है।
 - इस श्रेणी में लगभग 50 कर्मी शिफ्ट में कार्य करते हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति के आवास और काफिले के लिए बेहतर व्यवस्था होती है।
 - परंपरागत रूप से, सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के तीन अधिकारी निजी सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

भारत में सुरक्षा श्रेणियाँ

- एक्स सुरक्षा:** सबसे बुनियादी सुरक्षा प्रदान करती है, सामान्यतः 2 सुरक्षाकर्मियों के साथ।
- वाई सुरक्षा:** थोड़ी उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है, सामान्यतः पुलिस अधिकारियों और कमांडो सहित 11 कर्मियों के साथ।
- Y+ सुरक्षा:** Y श्रेणी का एक उन्नत संस्करण, जो अधिक संख्या में कर्मियों और अधिक व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है।
 - यह सांसदों, विधायकों या मध्यम स्तर के खतरे वाले सार्वजनिक हस्तियों के लिए है।
- Z सुरक्षा:** लगभग 22 कर्मी (NSG/CRPF कमांडो + स्थानीय पुलिस)।
 - केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और कुछ हाई-प्रोफाइल नेताओं या विश्वसनीय खतरे वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- Z+ सुरक्षा कवर में शामिल हैं:** निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO), आवास सुरक्षा, काफिले में एस्कॉर्ट वाहन, निगरानी और पहुँच नियंत्रण उपाय।
 - उपराष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च सुरक्षा खतरों का सामना करने वाले व्यक्ति।
- विशेष सुरक्षा समूह (SPG):** यह SPG अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है।

- ▲ विशेष रूप से भारत के प्रधान मंत्री और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों के लिए।
- **स्थिति:** 2019 के संशोधनों के पश्चात, यह केवल वर्तमान प्रधान मंत्री और उनके साथ रहने वाले उनके तत्काल परिवार तक ही सीमित है।

Sources: IE

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

सन्दर्भ

- भारत के राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस (5 सितंबर) पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में देश भर के 81 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के बारे में

- **चयन प्रक्रिया:** शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन चरणों वाली पारदर्शी, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसका समन्वय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है।
- **आयोजक:** शिक्षा मंत्रालय और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी।
 - ▲ प्राथमिक, माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत मेधावी शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर (शिक्षक दिवस) को भारत के राष्ट्रपति (या) भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
- **उद्देश्य:**
 - ▲ उत्कृष्ट शिक्षकों के अद्वितीय योगदान का उत्सव मनाने के लिए।
 - ▲ उन शिक्षकों को सम्मानित करना जिन्होंने प्रतिबद्धता और नवाचार के माध्यम से स्कूली शिक्षा में सुधार किया है तथा अपने छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाया है।
- **अवसर:** भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान दार्शनिक-शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस पर प्रत्येक वर्ष पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

- **बहिष्कार:** सेवानिवृत्त शिक्षक जिन्होंने कैलेंडर वर्ष के कम से कम एक भाग में सेवा नहीं की है - कम से कम चार महीने, अर्थात् राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित वर्ष की 30 अप्रैल तक। शिक्षक/प्रधानाध्यापक जिन्होंने ट्यूशन पढ़ाया हो।

- ▲ संविदा शिक्षक और शिक्षा मित्र भी पात्र नहीं हैं।

क्या आप जानते हैं?

- राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में मनाया जाता है।

Source: PIB

संशोधित परिचालन निलंबन संधि द्वारा कुकी-ज़ो समूहों के लिए मानदंड सख्त

सन्दर्भ

- गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार और 24 कुकी-ज़ो विद्रोही समूहों के बीच संशोधित ऑपरेशन निलंबन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो एक वर्ष के लिए वैध है।

परिचय

- अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त, संशोधित आधारभूत नियमों में निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया है:
 - ▲ मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता।
 - ▲ मणिपुर राज्य में स्थायी शांति और स्थिरता लाने के लिए बातचीत से समाधान की आवश्यकता।
- **कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ)** ने भी इन बातों पर सहमति व्यक्त की है:
 - ▲ संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्रों से दूर सात निर्दिष्ट शिविरों को स्थानांतरित करना।
 - ▲ निर्दिष्ट शिविरों की संख्या कम करना।
 - ▲ हथियारों को निकटतम सीआरपीएफ/बीएसएफ शिविरों में स्थानांतरित करना।
 - ▲ सुरक्षा बलों द्वारा कैडरों का कठोर भौतिक सत्यापन, यदि कोई विदेशी नागरिक हो, तो उसे सूची से हटाने के लिए।

- **2008 एसओओ समझौता:** इस पर 1990 के दशक में कुकी-नागा संघर्ष के बाद हस्ताक्षर किए गए थे।
 - ▲ कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) के तत्वावधान में, कुकी-जो समूह ₹6,000 प्रति माह के वृत्ति के पात्र थे, जो 2023 में राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से बंद कर दिया गया था।
- **संशोधित एसओओ समझौते के अन्य प्रावधान:** यह समझौता समूहों को देश के अंदर या बाहर किसी भी अन्य सशस्त्र समूह के साथ संबंध रखने, नए कार्यकर्ताओं की भर्ती करने और आक्रामक अभियान चलाने से रोकता है।
 - ▲ सेना, असम राइफल्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस इन समूहों के विरुद्ध तब तक अभियान नहीं चलाएंगी जब तक वे समझौते का “पालन” करते हैं।

कुकी-जो समूह कौन हैं?

- कुकी-जो लोग मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम और म्यांमार में फैले एक जातीय समुदाय हैं।
- वे म्यांमार और मिजोरम के अन्य चिन-मिजो समूहों के साथ घनिष्ठ जातीय तथा सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं।
- 1980-90 के दशक से, विभिन्न कुकी-जो विद्रोही समूहों ने हथियार उठाए हैं, और उनकी अधिकांशतः मांगें हैं:
 - ▲ अधिक स्वायत्तता/आत्मनिर्णय;
 - ▲ आदिवासी अधिकारों और भूमि की सुरक्षा;
 - ▲ कुछ मामलों में, अलग राज्य का दर्जा।

Source: TH

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

सन्दर्भ

- छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 14,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया है।
 - ▲ **कारण:** राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा 25 प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी।

- ▲ एनएचएम कर्मचारी सेवाओं के नियमितीकरण, बेहतर वेतन और अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

- **प्रारंभ:** 2013 (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 2005 और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, 2013 को मिलाकर)।
- **नोडल मंत्रालय:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
- **उद्देश्य:** ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, विशेषकर कमजोर वर्गों को सुलभ, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना।
- **कार्यान्वयन रणनीति:** मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा ताकि वे जिला अस्पतालों तक सुलभ, सस्ती, जवाबदेह तथा प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकें।
 - ▲ इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे, मानव संसाधन में वृद्धि और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर को समाप्त करना भी है।
 - ▲ इसमें आवश्यकता-आधारित हस्तक्षेपों को सुगम बनाने, अंतर-क्षेत्रीय एवं अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण में सुधार लाने तथा संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम के विकेंद्रीकरण की परिकल्पना की गई है।

Source: TH

अंगीकार 2025

सन्दर्भ

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत “अंगीकार 2025” का शुभारंभ किया।

अंगीकार 2025 क्या है?

- यह देश भर में इस योजना के बारे में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करके पीएमएवाई-यू 2.0 के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए एक आउटरीच अभियान है।

- **अवधि एवं कवरेज:** यह अभियान 4 सितंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक देश के 5,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों में चलेगा।
- यह योजना के अंतर्गत आवेदनों के सत्यापन में भी तीव्रता लाएगा और पीएमएवाई-यू के अंतर्गत पहले से स्वीकृत घरों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करेगा।
- इसमें निम्न आय आवास के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट को बढ़ावा देना, पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं के लाभों को एकीकृत करना और विशेष फोकस समूहों के लिए आवास को प्राथमिकता देना शामिल है।

Source: PIB

■■■■

